प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–15.09.2018 को विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए एकरारनामा में वर्णित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श एवं सर्वे के कार्यो की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : संधारित।
स्थान : राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं एजेंसी के प्रतिनिधियों का स्वागत निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा किया गया। इसके उपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में मुख्य रूप से विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा वर्तमान में किए जा रहें कार्य एवं एकरारनामा में वर्णित विभिन्न बिन्दुओं पर केन्दित था। जिसमें हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए गए एकरारनामा के बिन्दुओं पर विमर्शोपरांत निम्न प्रकार आवश्यक निर्णय लिया गया।

1. **GCP Network की स्थापना एवं Georeferenceing of PCP, SCP, TCP एवं Tri-junction :–**
(एकरारनामा की कंडिका–4.2.2.& 6. a,b,c एवं कंडिका–7)

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा अबतक स्थापित की गई GCP के नेटवर्क की सूची निदेशालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है। Primary एवं Secondary Ground Control Point का Georeferenceing कार्य भी किया गया है।

1.1 बैठक मे महसूस किया गया कि GIS सलाहकार, BPMU द्वारा शीघ्र एजेंसी के साथ क्षेत्र भ्रमण कर एजेंसी द्वारा तैयार किए गए Orthophotograph के अनुसार Co-ordinate की जॉच करायी जाए इस हेतु निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनु0–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

2. मानचित्र आपूर्ति एवं तुलनात्मक विवरणी :–
(एकरारनामा की कंडिका–4.2.10 एवं 4.2.15)

2.1 विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण मानचित्र की आपूर्ति हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा की जानी है। स्थल सत्यापन कार्य के लिए हार्ड कॉपी मानचित्र बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। स्थल सत्यापन कार्य में स्थल मानचित्र अशुद्ध पाए जाने पर किस्तवार कार्य हेतु पुनः शुद्ध मानचित्र की आपूर्ति एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

2.2 किस्तवार कार्य पूर्ण होने के उपरांत खानापुरी कार्य प्रारंभ करने हेतु एजेंसी द्वारा यथा संशोधित विशेष सर्वेक्षण मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही खेसराओं की तुलनात्मक विवरणी (C.S vs SS.) Parent child relation की सॉफ्ट कॉपी बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. दैनिक गतिविधी पंजी का संधारण :–
(एकरारनामा की कंडिका – 4.2.16)

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा दैनिक कार्यो का संधारण एक पंजी में किया जाना है। कार्यरत तीनों एजेंसी में दैनिक कार्यों के संधारण में एक रूपता के उद्देश्य से निदेशालय स्तर से एक Comman Formt तैयार कर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

4. LPM का तामिला एवं प्रपत्र –7 का वितरण :–
(एकरारनामा की कंडिका–4.2.19.A.I.)

4.1 विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत LPM निर्माण, प्रिंटिंग, वितरण एवं तामिला का कार्य हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जायेगा। LPM का सॉफ्ट प्रति डाटा, बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रपत्र–7 के वितरण एवं तामिला का कार्य भी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

4.2 LPM में अंकित खेसरा के क्षेत्रफल की शुद्धता को दशमलव में चार (04) अंको तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया। इस हेतु एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु आवश्यक निदेश देने का निदेश दिया गया।

4.3. साथ ही सर्वे कार्य हेतु एक अलग से वेबसाईट विकसित कराने का निदेश दिया गया, जिसमें सर्वे से संबंधित सभी जानकारी संधारित रहेंगे।

5 ETS/DGPS की उपलब्धता :–
(एकरारनामा की कंडिका–4.2.19 A.vi)

5.1 सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एजेंसी द्वारा किस्तवार प्रक्रिया से अंतिम प्रकाशन तक आवश्यकता अनुसार बंदोबस्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर ETS/DGPS एवं Support Staff उपलब्ध कराया जाना है। MoU के अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिए जो Support Staff एजेंसी को देने है, उन्हें सूचित कर कार्य योजना बना ली जाए।

5.2 इस हेतु बंदोबस्त कार्यालय द्वारा सर्वे हेतु निर्मित कार्य योजना संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करने का निदेश दिया गया।

5.3 सर्वेक्षण कार्य हेतु कार्य योजना, अंचलवार 2–3 शिविर एवं प्रत्येक शिविर में 40–50 ग्राम तथा प्रत्येक 2 ग्राम के लिए एक अमीन को कार्य आवंटित करते हुए बनाया जा सकता है।

6. सुनवाई की सूचना रैयतो को उपलब्ध कराने का कार्रवाई :–
(एकरारनामा की कंडिका – 4.2.19. A.vii)

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आपत्ति की स्थिति में सुनवाई की तिथि से संबंधित जानकारी से रैयतों को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अवगत कराया जायेगा।

7. आपत्ति पंजी का अनुरक्षण :–
(एकरारनामा की कंडिका –9)

7.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आपति वाले खेसरा में Yes चिन्हित (flagging) किया जायेगा।

7.2 खानापुरी के दौरान यदि किसी खेसरा में Dispute है, तो इसकी जानकारी प्रपत्र –12 की अभ्युक्ति कॉलम में अंकित करा दिया जाए।

8. विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त डाटा का जाँच:–
(एकरारनामा की कंडिका –10 एवं 10.4)

हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एजेंसी द्वारा तैयार किया गया डाटा DTDB शुद्धता मानकों को पूरा करता हो, जैसे proper Georeferenceing, proper data cleaning & proper topology किया हुआ हो, साथ ही DTDB में कोई तार्किक एवं भौतिक अशुद्धि न हो।

9. Mosaiking of Spaical Survey Maps :–
(एकरारनामा की कंडिका –11.5)

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अंतिम रूप से निर्मित राजस्व ग्रामों के Special Survey मानचित्र का मौजैकिंग Sheet/Village/Anchal/Districtwise का करके सॉफ्ट प्रति डाटा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. Meta Data :–
(एकरारनामा की कंडिका –11.03)

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गए सभी सॉफ्ट प्रति डाटा का Meta data संबंधित डाटा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

11 अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्र की आपूर्ति :–
(एकरारनामा की कंडिका –11.9)

11.1 विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित विशेष सर्वेक्षण मानचित्र की एक प्रति 150 GSM paper पर तथा तीन प्रति Normal paper पर A0 Size में उपलब्ध कराया जायेगा।

12 GCP Network का Soft data एवं लेयरवार संधारण :–
(एकरारनामा की कंडिका –11.6)

12.1 GCP के Network को उसके code के साथ एक निश्चित Layer में संधारित किया जायेगा।

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्र के Soft data में GCP के Network को उसके code के साथ Lat-Long एवं UTM format में लेयरवार संधारित करने का निदेश दिया गया।

13. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा हवाई फोटो ग्राफी से प्राप्त डाटा के आधार पर मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त आवश्यकतानुसार किसी अंर्तवर्ती डाटा की मांग किए जाने पर एजेंसी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

14 मौजा सत्यापन :–

14.1 एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संधारित राजस्व ग्रामों की सूची जिला/अंचल/मौजा सं0/मौजा का नाम वार तैयार कराया जाए।

14.2 भू–अभिलेख सॉफ्टवेयर के माध्यम से संधारित राजस्व ग्रामों की सूची जिला/अंचल/मौजा का नाम–वार तथा जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत संधारित राजस्व ग्रामों की सूची की तुलनात्मक विवरणी तैयार करायी जाए।

14.3 तेरीज निर्माण के लिए C.L.R योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत डाटा को उपयोग में लाने हेतु एन0आई0सी0, पटना के साथ बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया। C.L.R योजना के अंतर्गत संधारित कम्प्यूटरीकृत डाटा कॉलम सं0–14 में जमाबंदी नं0 प्रविष्टि कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।

अनु0–विभागीय आई0टी0 मैनेजर

15. वर्त्तमान में क्रियान्वित विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 36 अंचलों के लिए 100–100 की संख्या में कार्यरत अमीनों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित करने का निदेश दिया गया।

16. विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में अलामत अंकित करने हेतु हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को स्पष्ट निदेश देने का निदेश दिया गया।

17. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सभी कर्मी/पदाधिकारी तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों को विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा हवाई फोटो ग्राफी से लेकर मानचित्र निर्माण इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया है।

18. राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशनः–

केन्द्रीय प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP योजना के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन का कार्य बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा कराया जा रहा है। विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त पत्र एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग, पटना से प्राप्त विभिन्न अनुरोध पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि राजस्व मानचित्रों के डिजिटाईजेशन कार्यक्रम हेतु संबंधित एजेंसी से किए गए एकरारनामा के निम्न शर्तों के कारण डिजिटाईजेशन एजेंसी को लंबित राशि का भुगतान नहीं हो पाया हैः–

1. डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों का मौजेकिंग कार्य
2. डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों एवं डिजिटाईज्ड भू–अभिलेखों का इंटिग्रेशन कार्य

उक्त के संबंध में बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत निम्न निदेश दिये गए हैः–

18.1 डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों का मौजेकिंग कार्य एजेंसी द्वारा किए गए एकरारनामा के अनुसार किया जाना अनिवार्य है, चुकि री–सर्वे प्रक्रम में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों का राजस्व ग्राम–वार मौजेकिंग डाटा का ही सॉफ्ट प्रति उपलब्ध कराया जाता है।

18.2 डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों के मौजेकिंग की प्रक्रिया में विभिन्न चादरों को एक साथ मिलाने पर खेसरों की आकृति/रकवा में अंतर आना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित खेसरों की आकृति/रकवा, अलग–अलग सीट में अंकित रकवा ही मान्य होगा।

18.3 डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों के मौजेकिंग कार्य में विभिन्न चादरों के बीच मौजेकिंग का कार्य खेसरों के लाईनों के Centre Point को मिलाते हुए करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :–विशेष सर्वेक्षण–एजेंसी–319/2016.....पटना, दिनांकः– .....

प्रतिलिपि :– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मुकुल कुमार)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–विशेष सर्वेक्षण–एजेंसी–319/2016.....1560.....पटना, दिनांकः– 03-10-2018

Fax/Mail

प्रतिलिपि :– IL & FS, New Delhi/ Gis Consortium, New Delhi/IIC Technology को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/18
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप